

कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी, सिद्धार्थनगर/संत कबीर नगर।

पत्रांक संख्या: 133/सी0एफ0ओ0/एफ0एस0/स्कूलकालेज अग्नि सुरक्षा/21
सेवा में,

दिनांक: 24/12/2021

प्रबन्धक/प्रधानाचार्य

सूर्या इण्टरनेशनल एकाडमी,

खलीलाबाद, संत कबीर नगर।

विषय— सूर्या इण्टरनेशनल एकाडमी, खलीलाबाद, संत कबीर नगर में लगी अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्थाओं/उपकरणों की कार्यशीलता प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

संदर्भ— आवेदन के प्रार्थना पत्र के संदर्भ में।

महोदय,

कृपया आवेदक/प्रबन्धक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के परिपेक्ष में आपके विद्यालय भवन में लगी अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था का कार्यशीलता प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के अनुरोध किया गया है प्रश्रुत भवन में स्थापित जीवन रक्षा प्रिवेंशन एवं फायर प्रोटेंशन सिस्टम की स्थापना/क्रियाशीलता का निरीक्षण दिनांक : 23/12/2021..... कराया गया जिसका विवरण निम्नवत् है :-

1. फायर सर्विस के वाहनों का पहुंच मार्ग संतोषजनक है।
2. उपस्थित कर्मचारियों को फायर उपकरणों के संचालन का प्रशिक्षण कराया गया।
3. ज्वलनशील पदार्थों का रख-रखाव ठीक पाया गया।
4. फायर एक्सटिंग्यूअर स्थापित एवं कार्यशील दशा में पाये गये।
5. निकास व्यवस्था संतोषजनक है।
6. फायर स्टेशन का सी0यू0जी0 मोबाइल नम्बर मुख्य स्थानों पर अंकित किया गया।

अतः उपरोक्तानुसार उपलब्ध सुरक्षा व्यवस्थाओं के आधार पर स्कूल/कालेज भवन की अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं की कार्यशीलता निम्न शर्तों/उपबन्धों के अधीन निर्गत की जाती है।

1. स्कूल/कालेज परिसर में अन्य किसी भी अतिरिक्त निर्माण कराये जाने के पूर्व इस विभाग से अग्नि सुरक्षा सुझाव/अनापत्ति प्रमाण-पत्र अलग से लेना आवश्यक है।
2. अग्रिम नवीनीकरण वर्ष में पुराने उपकरणों की हाइड्रो टेस्टिंग विभागीय देखरेख में ही कार्यदायी संस्था द्वारा किया जाय। जिससे उपकरण की कार्यशीलता तथा गुणवत्ता नियमानुसार सुनिश्चित करायी जा सके।
3. प्रत्येक वर्ष स्कूल/कालेज भवन की सुरक्षा व्यवस्थाओं की कार्यशीलता प्रमाण-पत्र प्राप्त करना आपकी स्वयं जिम्मेदारी होगी।
4. उपरोक्तानुसार उपलब्ध सुरक्षा व्यवस्था के अतिरिक्त ढांचागत तथा अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएँ एन0बी0सी0-2016 पार्ट-4 व अन्य मानकों के अनुरूप पूर्णकर पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जाना वांछनीय है।
5. वर्ष में न्यूनतम दो बार इवेक्यूवेशन मॉकड्रील करायी जाय।
6. निकास/प्रवेश द्वार हमेशा अवरोधमुक्त रखे जायें।

अतः उल्लेखित सुरक्षा उपबन्धों का पालन करने तथा स्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएँ सदैव कार्यशील रखे जाने की शर्त पर स्कूल/कालेज भवन में स्थापित सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्थाओं का क्रियाशीलता की आख्या एक वर्ष के लिए निर्गत किया जाता है।

उपरोक्तानुसार पालन न करने तथा स्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएँ अकार्यशील पाये जाने पर निर्गत अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं की कार्यशीलता की विभागीय आख्या स्वतः निरस्त मानी जायेगी।

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
सिद्धार्थनगर/संत कबीर नगर
संत कबीर नगर -

प्रतिलिपि -

प्रभारी अग्निशमन केन्द्र, संत कबीर नगर को इस निर्देश के साथ कि उक्त भवन/ प्रतिष्ठान का समय-समय पर अग्निशमन के दृष्टिकोण से निरीक्षण कर आवश्यक कार्यवाही हेतु।